(2) द्वीप परिषद तीस दिनों के भीतर या तो बजट अनुमोदित करेगा अथवा इसे ग्राम परिषद को परिवर्तन का निदेश देते हुए वापस करेगा।

(3) यदि उप धारा (2) के अन्तर्गत कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बजट को 15 दिनों के भीतर द्वीप परिषद को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जब तक द्वीप परिषद द्वारा बजट अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते कि यदि द्वीप परिषद बजट प्रस्तुत करने अथवा पुनः प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अनुमोदन देने में असफल हो जाता है तो बजट को अनुमोदित माना जाएगा ।

43. (1) निर्धारित अनुसार प्रत्येक ग्राम परिषद का लेखे का वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाएगा । लेखा

(2) क्या निर्धारित तरीके से वार्षिक लेखा परीक्षा किया जाता है, यह सुनिश्चित करना सहायक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी ।

(3) सहायक आयुक्त रिपोर्ट पर विचार करने और जैसा वे अनिवार्य समझे आगे और जाँच करने के बाद ऐसे किसी भी मद को जो उन्हें नियमों और विनियमों के तहत प्रतिकूल प्रतीत होता है उसे समाप्त करने और उसका अधिभार उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति गैर कानूनी रूप से भुगतान करता है अथवा प्राधिकृत करता है और –

(क) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद का सदस्य है, धारा 48 की उप धारा (2) (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करना; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाए और ऐसे को अधिभार की राशि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम परिषद को अदा करने का निर्देश दिया जाए और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि अदा नहीं करता है तो सहायक आयुक्त निर्धारित अनुसार इसे वसूल करेंगे ।

(4) सहायक आयुक्त लेखा परीक्षण समाप्त होने के एक माह के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति उप आयुक्त और ग्राम परिषद को भेजेगा ।

(5) सहायक आयुक्त के आदेश से कोई भी व्यक्ति दुखी है तो वह उप धारा (4) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के तीस दिनों के भीतर उपायुक्त को अपील कर सकते हैं, ऐसे अपील पर उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

44. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा । प्रशासनिक रिपोर्ट

(2) रिपोर्ट प्रथम केप्टन द्वारा तैयार किया जाएगा और ग्राम परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ग्राम परिषद के एक संकल्प की प्रतिलिपि के साथ सहायक आयुक्त को भेजा जाएगा ।

अध्याय – VI
ग्राम परिषद का नियंत्रण

45. उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त की शक्ति इस प्रकार है– कार्यवाही आदि मांगने का अधिकार

(i) ग्राम परिषद के नियंत्रणाधीन वाले ग्राम परिषद के कार्यवाही से कोई भी उद्धरण अथवा कोई भी पुस्तक, रिकार्ड, पत्राचार अथवा दस्तावेज; और

(ii) निरीक्षण के प्रयोजन अथवा परीक्षण हेतु कोई विवरण, योजना, प्राकलन विवरण, लेखा अथवा रिपोर्ट ।

46. यदि किसी भी समय सहायक आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा लागू किए गए कर्त्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर चूक किया हो, वह उसे लिखित में आदेश द्वारा कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित कर सकता है । ग्राम परिषद द्वारा ड्यूटी के निष्पादन में चूक